UPRB010036472026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह (एच जे एस)–UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1541/2026

विजय बहादुर उम्र 19 वर्ष, पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम ख्वाजापुर कटरा, थाना सलोन, जिला रायबरेली।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

.....विपक्षी/अभियोगी।

16–06–2026

आवेदक–अभियुक्त **विजय बहादुर** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत अपराध संख्या 109/2026, धारा–137(2),87 **भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **सलोन,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी कि–प्रार्थी की लड़की मधु उम्र 17 वर्ष घर से आमिना रसूल पढ़ने गयी, किन्तु घर वापस नही आयी, स्कूल प्रबंधक से पता करने पर पता चला कि आज वह स्कूल नही आयी है। आस–पड़ोस व रिश्तेदारों के यहां पता करने पर भी पता नही चला। पता चला कि विपक्षी, प्रार्थी की लड़की को बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। प्रार्थी को यकीन है कि विपक्षी प्रार्थी की लड़की के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 183 B.N.S.S. अंकित किया गया मामले में अभी विवेचना प्रचलित है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा थाने से प्राप्त आख्या व केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तथाकथित घटना फर्जी है, प्रार्थी/अभियुक्त ने मुकदमा वादिनी की लड़की को न बहलाया फुसलाया है न कहीं भगाकर ले गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथाकथित घटना कारित नही किया है। प्रार्थी / अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है। मुकदमा वादिनी की पुत्री पूर्ण रूप से बालिग है और वह अपना भला बुरा बखूबी समझती है और वह अपनी मर्जी से आयी गयी होगी। प्रार्थी/अभियुक्त को शक के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया है जो सरासर गलत है। प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कोई भी अपराध नही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कोई भी चश्मदीद साक्षी नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से सलाह मशविरा करके 03 दिन बाद दर्ज करायी गयी है विलम्ब का कोई कारण नही दर्शाया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध धारा 137(2) व 87 बी०एन०एस० का अपराध नही बनता है क्योंकि प्रार्थी / अभियुक्त ने मुकदमा वादिनी की लड़की को बहलाया फुसलाया नही है और न ही कभी भगा कर ले गया है। आवेदक–अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक–अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार हैं। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। तद्नुसार आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त द्वारा पीड़िता जो कि एक नाबालिग बालिका है, को बहला फुसला कर आपराधिक कृत्य करने के आशय से ले जाया जा रहा था। आवेदक–अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक–अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

अभियोजन कथानक व आवेदक–अभियुक्त की ओर से लिये गये बचाव के अनुसार वादिनी द्वारा दिनांक 04–05–2026 की समय 8.00 बजे अपनी पुत्री को स्कूल जाने व लौट कर न आने के कारण दिनांक 07–05–2026 को समय 15.45 बजे प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मु०अप०सं० 109/2026 धारा 137(2), 87 BNS के अपराध हेतु दर्ज कराया गया। कथित पीड़िता द्वारा अपने धारा 183BNSS के बयान में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि " दिनांक 04/05/26 को सोमवार के दिन मैं बिना किसी को बताये सुबह 8 बजे अपनी मर्जी से अपनी मौसी गित्तन के यहां चली गयी थी क्योकी मेरे मम्मी मुझे 2–3 थप्पड मारी थी। मम्मी ने मुकदमा लिखा दिया। विजय को मैं नहीं जानती। वो मेरे गाँव का ही है। मेरे साथ कोई अपराध नहीं हुआ है।" पीड़िता ने अपने उक्त बयान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई अभिकथन नही किया है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक–अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार पाया जाता है। तदानुसार आवेदक–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक–अभियुक्त को **विजय बहादुर** अपराध संख्या–**109/2026**, धारा–**137(2),87 भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **सलोन,** जिला **रायबरेली** के मामले में, उसके द्वारा पचास

हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित शर्त पर,जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगा ।

2– यह कि आवेदक–अभियुक्त इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगा और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदक–अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगा–

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक–अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(अमित पाल सिंह)
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
16–06–2026

Renu Srivastava
Stenographr

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.06.16 13:12:27 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Raebareli